

## कार्यालय नगर निगम बरेली।

पत्र संख्या : 173/एस0टी0/अ0न0आ0का0/2020-21

दिनांक: 15.02.2021

### सार्वजनिक सूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 401, 438, 451, 452, एवं 541(20)(41) व (49) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर निगम बरेली टावर स्थापना नियंत्रण एवं विनियमन उपविधि-2018 बनायी गयी है, यदि किसी व्यक्ति/विशेष को उक्त उपविधि पर आपत्ति/सुझाव देने हों तो वह 15 दिन के अन्दर नगर निगम की वेबसाईट **nagarniagmbareilly.com** एवं कार्यालय में अवलोकन कर सकते हैं या नगर निगम, बरेली कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं तथा उक्त नियमावली से सम्बन्धित आपत्ति एवं सुझाव किसी भी कार्यदिवस में लिखित रूप से दे सकते हैं। समयावधि पश्चात् आपत्ति व सुझाव अमान्य होंगे।

अपर नगर आयुक्त  
नगर निगम बरेली।

प्रतिलिपि:-

1. मा0 महापौर महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी राजस्व को इस आदेश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं दैनिक हिन्दुस्तान में उपरोक्त निविदा सूचना एक दिन न्यूनतम स्थान पर पर प्रकाशित कराते हुये प्रकाशित अंक की दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

अपर नगर आयुक्त  
नगर निगम बरेली।

## “ टावर स्थापना नियंत्रण एवं विनियमन उपविधि-2018”

नगर निगम, बरेली द्वारा नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 401,438,451,452 व 541 (20)(41) व (49) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर निगम बरेली टावर स्थापना नियंत्रण एवं विनियमन उपविधि – 2018

### **1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-**

- (1) यह उपविधि नगर निगम बरेली (टावर स्थापना नियंत्रण एवं विनियमन) उपविधि 2018 कही जायेगी।
- (2) यह नगर निगम बरेली की सीमा में लागू होगी।
- (3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

### **2-परिभाषाएं-**

- (1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में-
  - (एक) “ अधिनियम ” से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 से है,
  - (दो) “ टावर” से तात्पर्य रेडियो, दूरदर्शन मोबाईल फोन या अन्य फोन या दूरसंचार सम्बन्धी अन्य माध्यमों के संकेतक या रश्मियां भेजने और संयोजन तथा संवाहकता स्थापित रखने हेतु निर्मित ऊंची संरचना से है।
  - (तीन) “सेवा प्रदाता” का तात्पर्य किसी कम्पनी, उसके कर्मचारी अभिकर्ता, अनापत्तिपी, संविदा कर्ता या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से है जिसके द्वारा अथवा पर्यवेक्षण में टावर लगाया जाना प्रस्तावित हो या लगाया गया हो,
  - (चार) “ भवन” के अर्न्तगत मकान घर के बाहर के कक्ष छादक झोपडी या अन्य घिरा हुआ स्थान या ढांचा है चाहे वह पत्थर ईट लकड़ी मिट्टी धातु या अन्य किसी वस्तु से बना हो और चाहे वह मनुष्यों का रहने के लिये या अन्यथा प्रयुक्त होता हो और इसके अर्न्तगत बरामदे, चबूतरे मकानों की कुर्सियों दरवाजे की सीढियों, दीवाले तथा हाते की दीवाले और मेड़ तथा ऐसे ही अन्य निर्माण भी है।
  - (पाँच) “भूमि” के अर्न्तगत ऐसी भूमि है जिस पर कोई निर्माण हो अथवा निर्माण हो चुका है अथवा जो पन्नी से ढकी हो, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, भूमि से संलग्न अथवा भूमि से संलग्न किसी वस्तु से स्थाई सूत्र से बांधी हुई वस्तुयें, और वे अधिकार हैं जो किसी सड़क के सम्बन्ध में विधायन द्वारा सृजित हुये हो,
  - (छः) “निगम” से तात्पर्य नगर निगम बरेली से है,
- (2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम से परिभाषित शब्दों और पदों, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित हों।

### **3-प्रतिषेध-**

- (1) नगर आयुक्त से पूर्व में लिखित अनापत्तियां प्राप्त किये बिना कोई सेवा प्रदाता कम्पनी, कर्मचारी अभिकर्ता, अनापत्तिपी या संविदाकर्ता या कोई व्यक्ति निगम की सीमा के भीतर किसी भूमि या भवन या वाहन पर कोई टावर या इसी प्रकार की अन्य संरचना जिससे किसी सामान्य प्रज्ञावाले व्यक्ति को टावर होने का आभास हो न तो प्रतिष्ठापित करेगा न परिनिर्मित करेगा, न खड़ा करेगा, न गाडेगा।

(2) निगम की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्य अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित पूर्व अनापत्ति के बिना ऐसे भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई टावर न प्रतिष्ठापित करेगा, न परिनिर्मित करेगा, न खड़ा करेगा, न गाड़ेगा, और नही किसी व्यक्ति कम्पनी संस्था या उसके कर्मचारी अभिकर्ता या अनापत्तिपी को ऐसे भवन या भूमि पर कोई टावर प्रष्ठापित करने देगा न परिनिर्मित करेगा, न खड़ा करेगा, न गाड़ेगा।

(3) कोई टावर इस रीति से स्थापित नही किया जायेगा जिससे यातायात अथवा समीपरथ भवनों तथा उनके अध्यासियों को नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता अथवा लोक सुरक्षा मे किसी प्रकार का व्यवधान हो।

#### 4- अनापत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया-

(1) अनापत्ति प्राप्त करने के लिये प्रत्येक आवेदन विनिर्दिष्ट प्रपत्र मे किया जायेगा जिसे रू0 1,000/- भुगतान करके नगर निगम के कार्यालय से या निगम बेबसाइट से डाउन लोड कर प्राप्त किया जा सकता है। नगर निगम कार्यालय से प्राप्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के साथ रसीद संलग्न करनी होगी, और बेबसाइट से डाउन लोड किया गया आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय उसके साथ आवेदन-पत्र के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) आवेदक द्वारा भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा जारी अपेक्षित लाईसेन्स अथवा पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न किया जायेगा।

(3) प्रत्येक आवेदन-पत्र मे ऐसी भूमि, भवन या स्थान के सम्बन्ध मे विस्तृत सूचना निहित होगी जहां ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित टावर प्रतिष्ठापित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना खड़ा किया जाना, गाड़ा जाना, चिपकाया जाना या लटकाया जाना वांछित हो।

(4) आवेदन-पत्र के साथ टावर की प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित, संरचना, अभियन्ता से सुदृढता सम्बन्धी रिपोर्ट, आवश्यक चित्र तथा संगणना प्रस्तुत की जायेगी।

(5) आवेदक द्वारा भूमि अथवा भवन का स्वामित्व प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। यदि आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन-पत्र के साथ ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुमति एवं उसके स्वामित्व प्रमाण-पत्र साथ संलग्न करनी होगी।

(6) भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को यह लिखित समझौता करना होगा कि किसी व्यतिक्रम की स्थिति मे यह टावर हेतु देय प्रत्येक प्रकार के शुल्क का भुगतान करने के लिये दायी होगा।

(7) टावर से सम्बन्धित विवरण जैसे ऊँचाई, भार, भूतल पर स्थापित या छत पर एन्टिना की संख्या तथा अन्य अपेक्षित सूचनायें और विशिष्टताएं अंकित की जायेगी।

(8) आटोमोटिव रिसर्च एसोशिएशन ऑफ इण्डिया (ARAI) द्वारा डीजी जनरेटर सेट के निर्माता को जारी टाइप टेस्ट सर्टीफिकेट (**type test certificate**) की प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित होगा।

(9) ऊँचे भवनो की दशा में विभाग की अनापत्ति के क्लियरेंस प्राप्त किया जायेगा।

(10) संरक्षित वन क्षेत्र में विभाग की अनापत्ति वांछित होगी।

(11) सेवा प्रदाता कम्पनी अथवा उसके प्रतिनिधि से किये गये अनुबन्ध में दी गयी शर्तों अथवा किसी ऐसे प्राविधान जो शासन/प्रशासन अथवा नगर निगम स्तर से किसी नीति अथवा मानक में कोई परिवर्तन होता है, तो वह अनापत्तिपी सेवा प्रदाता कम्पनी को मान्य होगा।

#### 5- अनापत्ति प्रदान किये जाने की शर्त-

(1) किसी टावर को प्रतिष्ठित करने, परिनिर्मित करने, खड़ा करने या गाड़ने की अनापत्ति निम्नलिखित निबन्धनों एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जायेगी-

(क) अनापत्ति केवल उसी अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी हो, बशर्ते शुल्क इस उपविधि के अधीन संदत्त और जमा किया गया हो।

(ख) टावर को समुचित स्थितियों और दशाओं में रखा और अनुरक्षित किया जायेगा।

(ग) प्रदान की गई अनापत्ति अन्तरणीय नहीं होगी।

(घ) सेवा प्रदाता कम्पनी या व्यक्ति ऐसी अवधि जिसके लिये अनापत्ति दी गई थी, की समाप्ति के एक सप्ताह के पूर्व अनापत्ति नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क जमा करेगा। शुल्क न जमा करने की स्थिति में एक सप्ताह में टावर हटा दिया जायेगा।

(ङ) टावर अनापत्तित स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेगे परिनिर्मित किये जायेगें। टावर किसी हैरिटेज/संरक्षित स्मारकों/भवनों पर स्थापित नहीं किये जायेगें।

(च) टावर से समीपस्थ भवनों के आवागमन, प्रकाश और वातायन में किसी भी रूप में व्यवधान नहीं डाला जायेगा और न ही लोक बाधा अथवा यातायात में बाधा उत्पन्न की जायेगी।

(छ) लोकहित में नगर आयुक्त या उसके इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अनापत्ति अवधि समाप्त होने से पूर्व भी अनापत्ति-पत्र को निलम्बित कर दे।

(ज) ढांचो, अवलम्बों और पट्टियों सहित टावर की अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किये जायेगा। समस्त धात्विक पूर्जों के वैद्युत भू आच्छादन की व्यवस्था की जायेगी और सभी यरिंग सुरक्षित और रोधित रखी जायेगी।

(झ) भूमि अथवा छत पर लगाने वाले बेस द्वारा रिसीविंग सिस्टम (बी0टी0एस0) के सम्बन्ध में भवन के ढांचे की डिजायन तथा टावर के स्थायित्व और सुदृढता के प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में स्थानीय निकाय या राज्य सरकार का सी0बी0आर0आई0 रूडकी या आई0आई0टी0 एन आई0आई0टी0 या किसी अन्य संस्था के अधिकृत संरचना, अभियन्ता द्वारा की गयी लिखित आख्या अपेक्षित होगा।

(ञ) किसी भवन के छत पर कोई टावर इस प्रकार प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा जिससे छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान हो।

(ट) कोई टावर किसी छत पर तब तक प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा जब तक सम्पूर्ण छत अज्वलनशील सामग्री का न हो।

(ठ) कोई टावर विद्यमान भवन एलाइनमेंट से बाहर किसी भी दशा में नहीं बढ़ेगा।

(ड) प्रत्येक टावर को पूर्णतया सुरक्षित रखा जायेगा। ऐसे भवन या संरचना जिस पर प्रतिष्ठापित या परिनिर्मित हो, का सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक मार्गों में सुरक्षित रूप से सवितरित होंगे।

(ढ) विमान पतनों के समीप टावर स्थापना हेतु विमान पत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(ण) टावर के स्थापना हेतु प्रथम वरीयता वन क्षेत्र एवं द्वितीय वरीयता आबादी से दूर खुले या सार्वजनिक क्षेत्र को दिया जायेगा। टावर आवासीय क्षेत्रों में लगाने से बचा जाय किन्तु जहाँ यह सम्भव न हो वहाँ यथासम्भव खुली भूमि पर उसे स्थापित किया जाय।

(त) टावर पर लगा एन्टीना समीपस्थ भवन से न्यूनतम 03 मी0 दूर और उसका निम्न धरातल अथवा छत से न्यूनतम 03 मी0 की ऊँचाई पर होगा।

(थ) टावर की स्थापना किसी शैक्षिक संस्थान अस्पताल परिसर अथवा सकरी गलियों (जिनकी चौ0 5 मी0 से कम हो) में नहीं की जायेगी। टावर किसी अस्पताल अथवा शैक्षिक संस्था के 100 मी0 त्रिज्या में स्थापित नहीं किये जायेगे।

(द) टावरों की स्थापना हेतु (भूमिगत या छत पर) एन्टीना के ठीक सामने कोई बिल्डिंग इत्यादि होने की स्थिति में टावर/बिल्डिंग की न्यूनतम दूरी निम्नवत होगी—

क्रमांक	गुणज एन्टीना की संख्या	एन्टीना से बिल्डिंग/संरचना की दूरी (सुरक्षित दूरी) (मी0 में)
1	2	35
2	4	45
3	6	55
4	8	65
5	10	70
6	12	75

(ध) क्षेत्र विशेष मे कई कम्पनियों द्वारा ट्रांसमिशन स्थल वांछित होने पर उन्हे यथा सम्भव एक ही टावर पर स्थापित कराना होगा।

(न) टावर अथवा उस पर स्थापित एंटीना तक सामान्य जन के पहुंच को समुचित तरीके जैसे कटीले तार, छत पर जाने के दरवाजे अथवा बाउण्ड्री वाल बनाकर गेट पर ताला आदि लगा कर प्रतिबन्धित किया जायेगा। अनुरक्षण कर्मियों को भी यथासम्भव कम से कम अवधि के लिये टावर तक पहुंचने की अनुमति दी जायेगी।

(प) टायर स्थल पर साइन बोर्ड उपलब्ध कराया जायेगा जो स्पष्ट दृष्टव्य होगा और चेतावनी चिन्ह स्थल के प्रवेश द्वार पर लगाना होगा, जिसमे स्पष्ट रूप मे अंकित किया जाये—

1— विकिरण का खतरा, कृपया अन्दर प्रवेश न करें।

2— प्रतिबन्धित क्षेत्र।

(फ) सेवा/अवस्थापना प्रदाता कम्पनियों द्वारा भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (डॉट) के टर्म सेल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार रेडिएशन के सभी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ब) प्रत्येक सेवा/अवस्थापन प्रदाता कम्पनी, उसके अभिकर्ता, अनापत्तिपी, कर्मचारी या स्वामी द्वारा टावर स्थापना के समय स्थल के चारो ओर बेरीकेटिंग, टिन आदि लगाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(भ) ऐसे स्थलों जहाँ यातायात हेतु दृष्यता मे बाधा और व्यवधान उत्पन्न हो वहाँ टावर लगाने की अनापत्ति नहीं दी जायेगी।

(म) जहाँ इससे स्थानीय नगरीय सुविधाये प्रभावित हो वहाँ अनुमति देय नहीं होगी।

(य) आवेदक द्वारा विभिन्न सम्बन्धित विभागों और प्राधिकारियों से आवश्यकतानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(र) टावर की स्थापना मरम्मत या सम्बन्धित अन्य कार्यों के सम्पादन के समय या पश्चात जन सुविधा का पूर्ण दायित्व आवेदक अथवा सेवा प्रदाता का होगा। किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति और उसके परिणामों के लिये आवेदक या सेवा प्रदाता उत्तरदायी होगा।

(ल) टावर पर किसी प्रकार का विज्ञापन सम्प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।

(व) भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध मे समय-समय पर निर्धारित अन्य नियम और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(श) बिना नगर निगम की अनापत्ति प्रमाण पत्र के टावर लगाने पर रू0 30,000 /— जुर्माना व टावर की जब्ती अथवा दोनो लगाये जायें।

6— क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र

(क) प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनी उसके अभिकर्ता, अनापत्तिपी, कर्मचारी या स्वामी द्वारा टावर या टावर की स्थापना से हुई दुर्घटना या किसी हानि के लिये क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) प्रत्येक स्थापित टावर की वजह से किसी प्रकार की जन हानि होती है। तो प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनी, अनापत्ति, कर्मचारी या समस्त प्रकार की क्षतिपूर्ति हेतु पूर्णतया जिम्मेदार होगा।

#### 7- सम्पत्ति कर का आरोपण-

टावर के पास निर्मित जनरेटर कक्ष, उपकरण कक्ष, चौकीदार कक्ष या अन्य कक्षों पर अधिनियम के सुंसगत प्राविधानों के अधीन सम्पत्ति कर का आरोपण किया जायेगा साथ ही अनावासीय भवनों हेतु शासन द्वारा बनायी गयी गृहकर/जलकर नियमावली के अनुसार निर्धारित किये गये गृहकर/जलकर की धनराशि अनापत्ति शुल्क के अतिरिक्त वसूली जायेगी, जिसका सम्बन्ध अनापत्ति शुल्क से नहीं होगा।

#### 8- अनापत्ति की अवधि और नवीनीकरण-

नगर निगम बरेली के सम्पत्ति विभाग द्वारा टावर स्थापना की अनापत्ति एवं नवीनीकरण आदि की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। किसी टावर की अनापत्ति अधिकतम 02 वर्ष के लिये दी जायेगी, 02 वर्ष पश्चात पुनः टावर स्थापना की नवीनीकरण कराना होगा। अनापत्ति शुल्क 02 वर्ष के लिये अग्रिम रूप से जमा किया जा सकता है।

#### 9- टावर को हटाने की शक्ति तथा स्थान परिवर्तन-

(क) यदि कोई टावर उपविधि के उल्लंघन में प्रतिष्ठापित किया जाता है, परिनिर्मित किया जाता है, खडा किया जाता है, या गाडा जाता है, या लोक सुरक्षा के लिये परिसंकटमय या खतरनाक हो या सुरक्षित यातायात संचालन हेतु बाधा और अशान्ति का कारण हो, तो नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकता है और जमा प्रतिभूति से अधिक धनराशि व्यय होती है, तो नियमानुसार उसका आंकलन कर नोटिस के माध्यम से वसूली की कार्यवाही सम्बन्धित सेवा प्रदाता कम्पनी अथवा प्रतिनिधि से की जायेगी।

(ख) किन्ही कारणों से यदि टावर के स्थान में परिवर्तन किया जाता है, तो उस पर आने वाले समस्त क्षतिपूर्ति/व्यय का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अनापत्तिपी/सेवा प्रदाता कम्पनी का होगा।

#### 10- टावर पर निर्बन्धन-

किसी संविदा या अनुबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने, परिनिर्मित करने खडा करने, या गाड़ने की अनापत्ति निम्नलिखित स्थिति में नहीं दी जायेगी-

(क) टावर संस्थापक कम्पनी को टावर के शीर्ष पर लाल बल्ब लगाना अनिवार्य होगा।

- (ख) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो।
- (ग) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग, यान मार्ग के छोर से 20 मी० के भीतर।
- (घ) अन्य मार्गों के यानमार्ग के छोर से 10 मी० के भीतर।
- (ङ) ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनो, चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के ऊपर।
- (च) जब इससे स्थानीय, नागरिक सुविधायें प्रभावित और बाधित हो।
- (छ) किसी परिसर के बाहर क्षेपित हो।
- (ज) दो टावरों के बीच की दूरी कम से कम 100 मी० से कम न हो।
- (झ) विद्यालय/चिकित्सालय /सार्वजनिक कार्यालय आदि के आस-पास अनापत्ति नहीं दी जायेगी।
- (ञ) विवाद की स्थिति में सुनवाई/निर्णय लेने के अधिकार मा० कार्यकारिणी समिति को होगा”
- (ट) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित निषिद्ध क्षेत्र के भीतर हो।
- (ठ) उपरोक्त अनापत्ति शुल्क एवं प्रतिभूत धनराशि जमा कराते हुये नगर निगम बरेली द्वारा एन०ओ०सी० जारी की जायेगी। तदोपरान्त बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा नगरीय क्षेत्र में टावर लगाये जाने हेतु अनुमति/अनापत्ति प्रदान की जायेगी।

### 11-निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा-

नगर निगम राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी स्थान या स्थानों, क्षेत्र या क्षेत्रों को टावर प्रतिष्ठापित करने परनिर्मित करने, खडा करने, या गाडने के लिये निषिद्ध घोषित कर सकती है।

### 12- अनुरक्षण-

(1) सभी टावर जिनके लिये अनापत्ति अपेक्षित है, अवलम्बों बधनी, रस्सा और स्थिर के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेगे, जोकि ढांचागत और कलात्मक दोनो ही दृष्टिकोण से होगी और यदि चमकीले अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नही है तो उन पर मोर्चा आदि से रोकने हेतु रंग रोगन किया जायेगा।

(2) प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनी, उसके कर्मचारी, अभिकर्ता, अनापत्ति या व्यक्ति का यह कर्तव्य और दायित्व होगा कि वह टावर से आच्छादित परिसर मे सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

### 13- प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति-

नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज-माप या जाँच करने के प्रयोजन के लिये या ऐसा कार्य निष्पादित करने के



लिये जो इस उपविधि के अधीन हो, किसी उपबन्ध के अनुसरण के सहायकों या श्रमिकों के साथ या उसके बिना किसी परिसर या उसमें प्रवेश कर सकता है।

#### 14- शुल्क का निर्धारण तथा भुगतान की रीति-

(1) नगर निगम बरेली सीमा क्षेत्र में स्थापित टावरों हेतु **वार्षिक शुल्क रू0 50,000.00** प्रति टावर और प्रतिभूति (धरोहर धनराशि) धनराशि **रू0 30,000.00** प्रति टावर होगी, वार्षिक शुल्क आगामी वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के पूर्व देय होगी तथा प्रतिभूति धनराशि टावर स्थापित किये जाने की अनुमति लिये जाने के पूर्व नगर निगम बरेली के पक्ष में देय होगी। उक्त देय धनराशि का भवन/भूमि पर आरोपित गृहकर/जलकर से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

(2) वार्षिक शुल्क एकल किस्त में संदेय होगा। जब तक पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाय तब तक किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने, परिनिर्मित करने, खड़ा करने गाडने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(3) किसी कटौती के न होने पर प्रतिभूति की पूरी धनराशि और कटौती अथवा, समायोजन होने पर अवशेष धनराशि अनापत्ति समाप्त होने की तिथि से एक सप्ताह में बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

#### 15- शास्ति और अपराधों की प्रशमन-

(1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार से उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो रू0 पांच हजार तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में प्रथम उल्लंघन तिथि की सिद्धि के पश्चात प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा, ऐसे जुर्माने, जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा।

(2) इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराधी के लिये निर्धारित के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनाधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशामित किया जा सकता है।

**अनुसूची**  
**कार्यालय नगर निगम बरेली**  
**टावर स्थापना हेतु आवेदन-पत्र**  
**(नियम 4 (1) देखें)**

मूल्य रू0 1,000/-

1. आवेदक का नाम .....
2. (1) अभिकरण, प्रतिष्ठान कम्पनी या संस्था का नाम.....
3. (2) बेबसाइट (यदि कोई हो,) .....पता
- (1) अभिकरण, प्रतिष्ठान कम्पनी या संस्था का नाम.....
- (2) आवेदक का नाम.....
- (3) दूरभाष संख्या .....
- (4) ई-मेल .....
4. आवेदित टावर का प्रकार.....
5. टावर का आकार(ऊंचाई सहित) .....
6. स्थल मानचित्र सहित स्थल की अवस्थिति .....
7. भूमि, भवन या स्थान के स्वामी का नाम .....
8. (एक) स्वामित्व प्रमाण-पत्र के साथ स्वामी की लिखित अनुमति संलग्न की जाय।  
(दो) स्वामी द्वारा इस आषय का शपथ-पत्र कि चूक की दषा मे टावर स्थापना हेतु देय समस्त शुल्को के भुगतान का दायी होगा- संलग्न किया जाये।  
(तीन) नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित
9. वार्षिक शुल्क- रू0 .....
10. निर्धारित प्रतिभूति शुल्क- रू0 .....
- (दो) किस्त की धनराशि
11. अन्य विवरण .....
- संलग्नक .....
- स्थान .....
- दिनांक .....

नगर आयुक्त  
नगर निगम बरेली।